धारा 104 : कतिपय परिस्थितियों में अग्रिम विनिर्णय का शून्य होना

(1) जहां [1][प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण] यह पाता है कि धारा 98 की उपधारा (4) के अधीन या धारा 101 की उपधारा (1) के अधीन [2][या धारा 101ग के अधीन] उसके द्वारा उद्घोषित् अग्रिम विनिर्णय को आवेदक या अपीलार्थी द्वारा कपट या तात्विक तथ्यों को छिपाने या तथ्यों के दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है वहां वह आदेश द्वारा ऐसे विनिर्णय को आरंभ से ही शून्य घोषित कर सकेगा और तत्पश्चात् इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंध आवेदक या अपीलार्थी को ऐसे लागू होंगे मानो अग्रिम विनिर्णय कभी किया ही नहीं गया था :

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक या अपीलार्थी को सुने जाने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया हो।

स्पष्टीकरण—धारा 73 की उपधारा (2) और उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (2) और उपधारा (10) [3][या 74क की उपधारा (2) और उपधारा (7)] में विनिर्दिष्ट अवधि की गणना करते समय इस उपधारा के अधीन ऐसे अग्रिम विनिर्णय की तारीख से प्रारंभ होने वाली और आदेश की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि को परिवर्जित कर दिया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश की एक प्रति आवेदक, संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को भेजी जाएगी।

---

1 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा ''अपील प्राधिकरण'' के बाद अंतःस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।

2 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा अंतःस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।

3 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 17/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 01.11.2024 से प्रभावशील किया गया।